कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2288656 फैक्स : 0522–2288655

संख्या : 1994/अनु–2/सीईएच/अवर अभि0/2010 दिनांक : 01/01/2011

अधीक्षण अभियन्ता (यूनीफाइड)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय : टी0जी0–2 से प्रोन्नत अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के नियुक्ति पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के सन्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के नियुक्ति कार्यालय ज्ञाप संख्या 2903/अनु–2/सीईएच/अवर अभि0/2010 दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 के साथ संलग्न प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बन्ध पत्र (परिशिष्ट–'ज') एवं कार्यभार ग्रहण आख्या में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के स्थान पर अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अंकित कराने का मुझे निदेश हुआ है। उपरोक्त दोनो प्रपत्रों के संशोधित प्रारूप आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

(ए0के0 पाण्डेय)
वैयक्तिक सहायक–षष्ठम
कृते मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)

परिशिष्ट– "ज"

(अभियन्ता द्वारा रू0 110/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

बन्ध–पत्र

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री.. पुत्र श्री .... अस्थायी अवर अभियन्ता (सा0श्रे0), जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के नियुक्ति पत्र संख्या... .... में वर्णित शर्तो के अधीन सेवा कर रहे है (एतद्पश्चात अवर अभियन्ता कहलायेगे) एवं श्री.. पुत्र श्री.. निवासी.. ....(एतद्पश्चात प्रतिभूँ कहलायेंगे एतदृद्वारा आबद्व होते है कि) जिसमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से (उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को एतद्पश्चात कारपोरेशन कहलायेगा) मॉगे जाने पर रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) देने के बन्धपत्रित होगे।

दिनॉक ....
मास के दिन.............................
हस्ताक्षरित
(अभियन्ता के हस्ताक्षर)

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

अतः कारपोरेशन के अभियन्ता को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार अस्थायी अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के रूप में नियुक्ति किया है।

एवं यतः कारपोरेशन को यह आश्वस्त करने के आशय से कि अभियन्ता स्वयं अपनी ओर से कारपोरेशन की सेवाओं को, प्रशिक्षण के दोरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित सन्दर्भ में अवर अभियन्ता के रूप नियुक्ति के दिनॉक से तीन वर्ष पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, अभियन्ता यह बन्ध–पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अभियन्ता अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित सन्दर्भ में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनॉक से तीन वर्ष पूर्व तक कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की सेवाओं को किसी भी समय कारपोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ेगा अथवा त्याग पत्र देगा, तब उस दशा में अभियन्ता और/अथवा प्रतिभू मॉगे जाने का अविलम्ब बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि को भुगतान करेंगे। तथा उसके (अभियन्ता) अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मॉगे जाने पर भुगतान करने उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्णरुपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबन्धित होगा कि यदि कारपोरेशन अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तो के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध–पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

हस्ताक्षरित
अवर अभियन्ता
प्रतिभू

कार्यभार ग्रहण सूचना

सेवा में,

....

....

....

....

महोदय,

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) के कार्यालय ज्ञापन संख्या–.. द्वारा (क्रम संख्या .... पर) मेरी नियुक्ति अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा पे बैण्ड–।। रू0 9300–34800 में प्रविष्टि वेतन रू0 9860 में करते हुए मेरी तैनाती आपके अधीन की गयी है।

अतः उपरोक्त आदेशों के अनुपालन मैं अपनी योगदान आख्या अवर अभियन्ता (सा0श्रे0) के पद पर ग्रेड वेतन रू0 4200 तथा पे बैण्ड–।। रू0 9300–34800 में प्रविष्टि वेतन रू0 9860 में आज दिनॉक .... (पूर्वान्ह/अपरान्ह) में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ।

उपरोक्त विज्ञापन में वॉछित प्रपत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रार्थी

नाम/पिता का नामः
पताः